

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

21-07-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
लालचन्द वर्गो बनाम अमित वर्गो

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र 148 (1) सीपीसी

मुकदमा नम्बर- 100/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	न्यायालय में प्रेषित हुक्म की तारीख के साथ ही
-------------	--	---

21.07.2023	<p>प्रार्थी के स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 21.03.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिन से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	
------------	---	--

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर

